अध्याय-I

परिचय

संविधान निर्माताओं द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों का प्रावधान करने की आवश्यकता को पूरी तरह से महसूस किया गया था । कमजोरों के इन दो सर्वाधिक कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सेवा हितों को उन्नत करने के लिए विशेष उपबंध किए गए तथा इन सुरक्षणों के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। केवल सुरक्षणों का उपबंध करना तथा दिशा निर्देश जारी करना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु किए गए उपबंधों का कार्यान्वयन सही ढंग से किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करेगा तथा इन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

1.2 विशेष अधिकारी का कार्यालय, जिसे बाद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में पदनामित किया गया, नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ 18.11.1950 से प्रभाव में आया। उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का कारगर ढंग से निर्वहन करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए। 1965 तक, संविधान के अधीन अथवा सरकार के आदेश के अधीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए, विभिन्न राज्यों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा चुके थे।

1.3 1967 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण उनसे वापस ले लिया गया तथा 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को पांच आंचलिक कार्यालयों में पुनः समूहबद्ध करने के बाद उन्हें समाज कल्याण विभाग के अधीन महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के रूप में नए सृजित किए गए संगठन के नियंत्रण में रखा गया।

1.4 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विभिन्न सुरक्षणों का निरीक्षण करने के लिए 1977 में सरकार ने अनुच्छेद 338 के उपबंधों में संशोधन करने का प्रयास किया ताकि एक बहु सदस्यीय आयोग की स्थापना की जा सके। अपने प्रयास में असफल रहते हुए, सरकार ने, गृह मंत्रालय के दिनांक 21-7-78 के संकल्प संख्या 13013/9/77(एससीटी(1) द्वारा एक बहु सदस्यीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया। श्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में पहला बहु सदस्यीय आयोग जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना गया, दिनांक 1-12-78 से प्रभाव में आया। यह आयोग 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में पुनर्नामित किया गया तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार निकाय बनाया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पहले क्षेत्रीय कार्यालयों को महानिदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण से हटा कर बहु सदस्यीय आयोग के नियंत्रण में रखा गया।

1.5 1990 में सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के उपबंधों में संशोधन करने का एक नया प्रयास किया गया ताकि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित निकाय को विस्तृत कर्त्तव्यों

और उत्तरदायित्वों के साथ प्रभावी बनाया जाए। 1990 में अनुच्छेद 338 के उपबंधों को, संविधान (पैसठवां) संशोधन अधिनियम, 1990, द्वारा संशोधित किया गया। संशोधित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय तथा पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को समाप्त करते हुए प्रथम संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन दिनांक 12-3-92 को किया गया।

1.6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय ने, अपने 42 वर्षों के अस्तित्व के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हितों में उत्थान और सेवाओं में आरक्षण के लिए लगभग 5200 सिफारिशों सहित 30 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

1.7 बहु सदस्यीय आयोग (पहले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग तथा बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग) ने अपने 14 वर्षों के अस्तित्व के दौरान, लगभग 1100 सिफारिशों सहित आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। उसने "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचारों के कारण और उपाय" नामक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है।

1.8 वर्तमान रिपोर्ट संवैधानिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की पांचवीं रिपोर्ट है, जिसमें संवैधानिक उपबंधों, पंचायत राज, न्यूनतम आवश्यकताएं एवं गरीबी उन्मूलन, रोजगार और आय सृजन, सेवा सुरक्षण, जनजातीय विकास के मुख्य मुद्दे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि पर अपराध और अत्याचार आदि के अध्याय शामिल हैं। मुद्दों पर विस्तार से चर्चा, रिपोर्ट के संबंधित अध्याय, में की गई है।